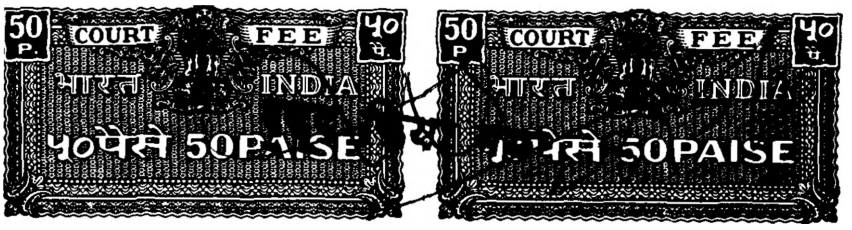

1-00

एस०ए०सी०ए०नं० 1970/95

प्रतिलिपि आदेश नवीन शाह — — की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्ति प्रकाश मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाजू आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामाआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

1—

न्यायालयः- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

। समक्षः- श्री के0के0एस0राजपूत ।

सत्र प्र0क्र0- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं के0के0एस0राजपूत, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।
तुम (1) नवीन शाह आत्मज रामजीभाई शाह पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :- मार्च 91 से सित0 91 के मध्य किसी समय

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या~~ दुर्ग (म0प्र0) में ~~उसी समय प्रातः 3.45 बजे~~ या उसके लगभग आपने ~~कुलचंद शाह~~, ~~नवीन शाह~~, चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, अभयकुमार सिंह, चंद्रबक्शसिंह, पल्टनसिंह एवं पल्टन मल्लाह के साथ आपसी सहमति द्वारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड़यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों द्वारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दं0 संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

28-29-9-91 की दरम्यानी रात्रि 4 बजे हुडको कॉलोनी दुर्ग में
J. M. Rajpu
9.8.97
[illegible]

अतएव मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

J. M. Rajpu

। के0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दुर्ग, दिनांकः- 25-5-97

अभियुक्त को उक्त आरोप को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- अपराध नहीं किया हूँ।

J. M. Rajpu

। के0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दिनांकः- 21-5-97

अपराध स्वीकार
J. M. Rajpu
9-8-97

सत्यप्रतिलिपि
23/5/98
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या, जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)